



माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर

संशोधित निर्देशिका (Revised Guidelines)

तृतीय एवं चतुर्थ वर्षीय स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रम

(UG/FYUGP and PG Programmes)

(w.e.f. Session 2026-2027)

1. प्रस्तावना (Introduction)

यह निर्देशिका माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय एवं उसके संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश और परीक्षा हेतु अंगीकृत की जाती है तथा इसकी व्यवस्थाएं शिक्षा सत्र 2026-27 से लागू होंगी।

यह निर्देशिका उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्रांक: 2090/सत्तर-3-2024-09(01)/2023 (L4) दिनांक 02 सितम्बर 2025, यू0जी0सी0 के पत्रांक: 1-3/2021(QIP) दिनांक 23 अप्रैल 2025 एवं पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों पर अधिक क्रेडिट के ज्यादा भार को कम करना तथा शिक्षा को उद्देश्य परक बनाना है।

2. क्षेत्र (Scope)

- 2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, व्यावसायिक प्रबन्ध एवं वाणिज्य, शिक्षा, फाइन आर्ट एवं डिजाइन, भाषा, विधि, फार्मास्युटिकल विज्ञान, कृषि तथा इन्जीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी०ए०, बी०एससी० एवं बी०काम तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम०ए०, एम०एससी०, एम०काम० कार्यक्रमों में लागू होगी।
- (ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी०एस-सी० (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक यथा बी०सी०ए०, बी०बी०ए० आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।
- 2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUGP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 यह सभी व्यवस्थाएं 2026–2027 सत्र से लागू होंगी।

2.4 अन्य संकायों अथवा कार्यक्रमों यथा—चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा—एम०सी०आई० ए०आई०सी०टी०ई०, एन०सी०टी०ई०, बी०सी०आई० आदि के एन०ई०पी०-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया आयेगा।

3. परिभाषाएं—

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेंटिसशिप सहित), पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा—बी०ए०, बी०एस—सी०, बी०कॉम, बी०एड० बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, एम०ए०, एम०एस—सी०, एम०कॉम०, एल०एल०बी०, पीएच०डी० इत्यादि।

बी०ए० एवं बी०एस—सी० पाठ्यक्रम बहुविषयक एवं बहुसंकाय पाठ्यक्रम होंगे।

3.2 संकाय (Faculty)—

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश

संख्या—1267/सत्तर—3—2021—16(26)/2021 दिनांक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू०जी०सी० के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकाय इत्यादि।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (B.A.) एवं विज्ञान संकाय (B.Sc.) की ही मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, वह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या—1276/सत्तर—3—2021—16(26)/2021, दिनांक 16-06-2021)

3.3 संकायवार विषय (Faculty-wise Subjects)–

3.3.1. Faculty of Arts

- 1 School of Indian Ancient History, Culture and Archaeology
- 2 School of General and Applied Economics
- 3 School of General and Applied Geography
- 4 Mahant Shri Digvijay Nath School of Hindu Studies and Social Harmony
- 5 School of Home Science and Community Studies.
- 6 School of Journalism and Mass Communication
- 7 School of Political Science and International Relations
- 8 School of Social Work
- 9 School of Tharu History, Culture and Empowerment
- 10 Mahant Shri Avidyanath School of Yogic Philosophy and Practices
- 11 School of Medieval & Modern History
- 12 School of Sociology
- 13 School of Philosophy
- 14 School of Psychology
- 15 School of Public Administration
- 16 School of Library and Information Science

Faculty of Science

- 1 School of Botany
- 2 School of Environmental Studies and Pollution Control
- 3 School of Quantum Science & Technology
- 4 School of Physics
- 5 School of Chemistry and Applied Chemistry
- 6 School of Mathematics and Statistics
- 7 School of Bio-Technology
- 8 School of Defence Strategies, Policy and National Security
- 9 School of Zoology
- 10 School of Environmental Science
- 11 School of Microbiology
- 12 School of Bio-Chemistry

Faculty of Business Management and Commerce

- 1 School of Business Management
- 2 School of Spiritual Tourism and Hospitality Management
- 3 School of Commerce

Faculty of Education

- 1 School of Education
- 2 School of Physical Education

Faculty of Fine Arts and Design

- 1 School of Applied Arts and Music
- 2 School of Music (Vocal)
- 3 School of Fine Arts
- 4 School of Drawing & Painting

Faculty of Languages and Literature

- 1 School of English and International Languages and Literature
- 2 School of Hindi and Modern Indian Languages and Literature
- 3 School of Sanskrit and Ancient Indian Languages and Literature
- 4 School of Urdu Language and Literature

Faculty of Pharmaceutical Science

- 1 School of Pharmacy

Faculty of Engineering and Technology-

- 1 School of Biotechnology
- 2 School of Computer Science and Application
- 3 School of Information Technology
- 4 School of Machine Learning and Artificial Intelligence
- 5 School of Architecture Planning and Design

Faculty of Law

- 1 School of Legal Studies

Faculty of Agriculture

- 1 School of Agro Forestry and Sugarcane
- 2 School of Agronomy
- 3 School of Genetics and Plant Breeding
- 4 School of Soil Science and Agricultural Chemistry
- 5 School of Entomology
- 6 School of Animal Husbandry and Dairying
- 7 School of Horticulture
- 8 School of Seed Science and Technology

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा। यदि मान्यता किसी अन्य संकाय में भी ली गई है, तो वहाँ भी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश लिए जा सकेंगे।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/ Paper)–

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रायोगिक के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

3.5 इकाई एवं सेक्शन (Unit and Section)

यदि किसी महाविद्यालय में बी0ए0/बी0एस–सी0 में 7 विषय हैं तो वहाँ प्रति विषय 60 विद्यार्थियों के अनुसार 420 विद्यार्थियों की एक इकाई समझी जायेगी। इनमें एक विषय का एक सेक्शन 60 विद्यार्थियों का समझा जायेगा।

यदि बी0ए0/बी0एस–सी0 में 5 विषयों में एक अतिरिक्त सेक्शन की विश्वविद्यालय से मान्यता ली गई है, तो ऐसी दशा में प्रति विषय 60 विद्यार्थियों के अनुसार 300 विद्यार्थियों की एक अतिरिक्त इकाई समझी जायेगी। इनमें एक विषय का एक सेक्शन 60 विद्यार्थियों का समझा जायेगा।

बी0काम0 एवं बी0एस–सी0 कृषि में एक इकाई क्रमशः 300 विद्यार्थियों की होगी।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एग्जिस्टिंसशिप सहित) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों (आवासीय परिसर के विभागों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों) को चार वर्षीय स्नातक (FYUGP) की मान्यता/ सम्बद्धता नये प्रोग्राम कोर्स के रूप में नियमानुसार प्रदान करेगा, जब महाविद्यालय इस हेतु आवेदन करेंगे।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों (आवासीय परिसर के विभागों/ सम्बद्ध महाविद्यालयों) के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUGP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) अन्य पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम/ कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा।

इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/ चार वर्ष (प्रथम से छठे या अष्टम सेमेस्टर) तक कर सकता है।

- (ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/ छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।
- (स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश ले सकता है परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/ चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।
- (द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4

विषय ग्रुप—

विज्ञान संकाय

अ— बायो ग्रुप				
1 मेजर/माइनर	2 मेजर/माइनर	3 मेजर/माइनर	4 मेजर/माइनर	5 माइनर केवल
I जन्तुविज्ञान	I वनस्पति विज्ञान II बायो-टेक्नालॉजी	I रसायन विज्ञान II फार्मा० रसायन विज्ञान III रक्षा स्त्रातेजिक नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा	I पर्यावरणीय अध्ययन एवं प्रदूषण नियन्त्रण II मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विज्ञान III बायो केमिस्ट्री IV सीड साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी	I योगिक विज्ञान II प्रदूषण नियन्त्रण एवं अपशिष्ट प्रबन्धन III पर्यावरण रसायन IV साइबर अपराध

ब— गणित ग्रुप				
1 मेजर/माइनर	2 मेजर/माइनर	3 मेजर/माइनर	4 मेजर केवल	5 माइनर केवल
I गणित II सांख्यिकी	I भौतिकी II क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी	I रसायन विज्ञान II रक्षा स्त्रातेजिक नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा	I आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस II मशीन अध्ययन III डाटा विज्ञान IV सूचना प्रौद्योगिकी V कम्प्यूटर विज्ञान	I अप्लाइड भूगोल II अप्लाइड अर्थशास्त्र III प्रदूषण नियन्त्रण एवं अपशिष्ट प्रबन्धन IV साइबर अपराध V योगिक विज्ञान VI पर्यावरण रसायन VII बायो-टेक्नालॉजी

कला संकाय-

1 मेजर/माइनर	2 मेजर/माइनर	3 मेजर/माइनर	4 मेजर/माइनर	5 मेजर/माइनर	6 मेजर/माइनर	7 माइनर केवल
I अंग्रेजी II संस्कृत	I हिन्दी II उर्दू III पत्रकारिता	I अर्थशास्त्र II गृहविज्ञान III संगीत (वोकल) IV दर्शनशास्त्र V मनोविज्ञान	I प्राचीन इतिहास II मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास III हिन्दू अध्ययन एवं सामाजिक समरसता	I शिक्षाशास्त्र II शरीरिक शिक्षा III भूगोल IV अप्लाइड कला V संगीत	I सामाजिक कार्य II राजनीति विज्ञान III सांख्यिकी IV गणित V रक्षा स्त्रातेजिक नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा VI समाजशास्त्र	I आध्यात्मिक पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबन्धन II साइबर सुरक्षा III थारु इतिहास, सांस्कृतिक एवं अधिकारिता IV योगिक दर्शन एवं अभ्यास V सामाजिक वानिकी VI अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध VII प्रदूषण नियन्त्रण VIII सामाजिक जनांकिकी का अध्ययन

- 4.5 विषय चयन के लिए एक वर्ग से केवल एक विषय का चयन करते हुए दो मेजर विषय लेने होंगे तथा एक माइनर विषय लेना होगा। जो विद्यार्थी जिस विषय को मेजर विषय के रूप में लेगा, वह उस विषय को माइनर विषय के रूप में नहीं लेगा।
- 4.6 तीसरे गौण (Minor) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव मुख्य विषय के अनुसार ही 4+2=6 क्रेडिट का होगा अर्थात् सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक होगा तथा पाठ्यक्रम भी मुख्य विषय का रहेगा। माइनर विषय केवल प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में रहेगा।
- 4.7 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त ऑनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोर्सेस की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेगा।
- 4.8 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयं (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त ऑनलाईन संस्थानों से परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा SGPA/CGPA की गणना की जायेगी।

5. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ SEC- Skill Enhancement Course)

- 5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रथम तीन सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में तीन क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स करना अनिवार्य होगा।

- 5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या—1969/सार—2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएंगे।
- 5.3 यदि विद्यार्थी यूजीसी/PMKVY 4/ केन्द्र/ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना है। विद्यार्थी अधिकतम 9 क्रेडिट (एक साथ/ अलग-अलग, कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते हैं।)
- 5.4 महाविद्यालय में किसी एक कौशल विकास कोर्स में अधिकतम 180 सीटों पर प्रवेश अनुमन्य होंगे। महाविद्यालय आवश्यकतानुसार अन्य कौशल विकास कोर्सेस की अनुमति विश्वविद्यालय से ले सकते हैं।
- 5.5 कौशल विकास कोर्स की परीक्षा एवं मूल्यांकन महाविद्यालय स्तर पर आयोजित की जायेगी।

6. सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम (Co-Curricular Courses)

- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात् कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स) से अर्जित करने होंगे।
- 6.2 सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम कोर्सेज की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा कराई जायेगी। इसमें उत्तीर्णता प्रतिशत 40 प्रतिशत होगा। इसकी गणना सी0जी0पी0ए0/ एस0जी0पी0ए0 में की जायेगी।
- 6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health) द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environment Studies) तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) का अध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व में संचालित हैं।
- 6.4 सभी विषय संयोजक चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/ स्थानीय भाषा तथा यूजीसी द्वारा बनाये गये सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement) का कोर्स संचालित करेंगे।

भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाले विद्यार्थी सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तथा अन्य विद्यार्थी भारतीय/ स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगे, जिसका पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय द्वारा स्थानीय भाषा के दृष्टिगत पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से तैयार किया जायेगा

7 शोध परियोजना (Research Project)

- 7.1 स्नातक स्तर पर चतुर्थ सेमेस्टर में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा।
- 7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के थ्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होगी न कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।
- 7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से नवम् सेमेस्टर में एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि चार क्रेडिट्स की होगी, तथा दशम् सेमेस्टर में लघु शोध प्रबन्ध (डिजर्तेशन) करना होगा जो कि आठ क्रेडिट्स की होगा।
- 7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी-एच०डी० की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।
- 7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय के विभाग/ महाविद्यालय सहमत हों तो सुपरवाइजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग/ कम्पनी/ तकनीकी संस्थान/ शोध/ शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।
- 7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी/ मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/ इन्टर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय के विभाग/ महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.8 स्नातक (मानद शोध सहित) स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर्स में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/ शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय के विभाग/ महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.9 पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी प्री-पी-एच.डी. कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/ शोध-प्रबन्ध (Report/Dissertation) अपने विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में जमा करेगा।
- 7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक

(पाठ्यक्रम समिति के माध्यम से नियुक्त) द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबंध एवं 25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC CARE listed/ peer reviewed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक में से पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC CARE listed / peer reviewed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC CARE listed/ peer reviewed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक ही देय होंगे। पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/ संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 में से अंक देय होंगे। पेटेन्ट/ शोध पत्र/ बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाइजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।

- 7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

8. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/ प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 8.2 प्रैक्टिकल/ इन्टर्नशिप फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य करना होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/ इन्टर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/ इन्टर्नशिप/ फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा, अर्थात् प्रैक्टिकल के दो घंटे का कार्य एक घंटे का वर्कलोड माना जायेगा।
- 8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य ऐकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट (ABC/ ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे।
- 8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 160 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष/ समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है।

यह इंटरनशिप विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था / इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटरनशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटरनशिप / एप्रेन्टिसशिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

- 8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (re-credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो यह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।
- 8.6 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर डिग्री दो वर्ष बाद ही मिल जायेगी। विभागाध्यक्ष / प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव को प्राप्त आवेदन पर विश्वविद्यालय अपने सक्षम विधिक निकायों / समितियों के माध्यम से नियमों को अनुमोदित करायेंगे।
- 8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 8.8 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट / डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और यह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।
- 8.9 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (As per UGC/ NEP guidelines) क्रेडिट ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी

समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुन कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी

- 10.1 यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान/ महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें। जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- 10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली

- 11.1 शासनादेश संख्या-1032 / सत्तर-3-2022-08(35) / 2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक/ परास्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाएगा।

12. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन

- 12.1 सतत आंतरिक मूल्यांकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन०ई०पी०-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।
- 12.2 मुख्य व माईनर विषयों के केवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत आंतरिक मूल्यांकन (CIE) अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। वोकेशनल/ SEC- Skill Enhancement Course के कोर्सेज का मूल्यांकन शासनादेश संख्या-1969 / सत्तर-3-2021, दिनांक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा। थ्योरी कोर्स 1 क्रेडिट व प्रैक्टिकल कोर्स 2 क्रेडिट का समझा जायेगा। थ्योरी के पूर्णांक 40 तथा प्रैक्टिकल के पूर्णांक 60 होंगे।
- 12.3 वाणिज्य-संकाय के अंतर्गत दो विषयों का चयन बी०कॉम० पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार करना होगा।

13. प्रवेश के लिए सीटों की अनुमन्यता :

- 13.1 शासनादेश संख्या-421 / सतर-1-2015-16(20) / 2011 दिनांक 22 मई 2015 के अनुसार सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी०ए०/बी०एस-सी० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक सेक्शन के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषयों में प्रति विषय 60 सीटों के गुणक में अनुमन्य कुल सीटों की गणना निम्नांकित प्रकार से की जायेगी।

पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुमन्य कुल सीटें = विषयों में सम्बद्धता प्राप्त मेजर विषय x 60

उदाहरणार्थ— यदि किसी महाविद्यालय को बी०ए० / बी०एस-सी० पाठ्यक्रम के लिए 05 मेजर विषयों में सम्बद्धता प्राप्त है तो उस महाविद्यालय के बी०ए० / बी०एस-सी० पाठ्यक्रम की एक इकाई के अन्तर्गत प्रवेश हेतु कुल $05 \times 60 = 300$ सीटें अनुमन्य होंगी।

Seats in One Unit				
	Major 1st	Major 2nd	Total Major	Minor
Subject 1	60	60	120	60
Subject 2	60	60	120	60
Subject 3	60	60	120	60
Subject 4	60	60	120	60
Subject 5	60	60	120	60
Total Seats in BA/ BSc.	No of Subjects (5) x 60 = 300			
Additional Section in a subject				
Subject 1	60	60	120	60
Total Seats 300 (in first unit) + 60 (in second unit) =360 (Total in 2 units)				

- नोट— एक सेक्शन की मान्यता पर प्रति विषय अधिकतम 60 सीटें प्रथम मेजर विषय एवं 60 सीटें द्वितीय मेजर विषय तथा 60 सीटें माइनर विषय के रूप में उपलब्ध होंगी।
- 13.2 संसाधनों की उपलब्धता एवं आवेदन के आधार पर नियमानुसार एक या अधिक अतिरिक्त सेक्शन/ इकाई की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा सकती है। अतिरिक्त सेक्शन/ इकाई की मान्यता होने या लेने पर पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति एवं विश्वविद्यालय से उनका अनुमोदन कराना अनिवार्य होगा।
- 13.3 एक विषय अथवा विभिन्न विषय संयोजनों में प्रवेश के लिए निर्धारित सीटों की संख्या का कुल योग किसी भी दशा में सम्बन्धित पाठ्यक्रम (बी०ए०/ बी०एस-सी० में प्रवेश के लिए अनुमन्य/ आगणित कुल सीटों की संख्या को अतिक्रमित नहीं करेगा।
- 13.4 शासनादेश संख्या— 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई 2015 के क्रम में आवेदन एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कुलपति महोदय द्वारा विषयवार सीटों की संख्या में एक सत्र के लिए 60 में 33 प्रतिशत की अभिवृद्धि की जा सकती है।
- 13.5 माइनर विषयों के सन्दर्भ में महाविद्यालय को सम्बन्धित माइनर विषय के अध्यापन की सुविधा सुनिश्चित करना बाध्यकारी होगा।

- 13.6 बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0 कृषि की सम्बद्धता पाठ्यक्रम में प्रथम इकाई के लिए प्रवेश हेतु सीटों की अनुमन्य संख्या 300 होगी। अतिरिक्त इकाई के लिए विश्वविद्यालय को नियमानुसार आवेदन कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 13.7 स्नातक स्तर पर प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर तक किसी विषय का प्रश्नपत्र सेमेस्टर के अनुक्रम में माइनर विषय का प्रश्नपत्र होगा। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र विषय के प्रथम सेमेस्टर का प्रश्नपत्र प्रथम सेमेस्टर के लिए माइनर होगा, तृतीय सेमेस्टर का सम्बंधित प्रश्नपत्र तृतीय सेमेस्टर के लिए माइनर होगा।
- 13.8 विद्यार्थी जिस विषय को मेजर प्रश्नपत्र के रूप में चयनित करेगा उसे माइनर विषय के रूप में चयनित नहीं कर सकेगा।
- 13.9 यदि विद्यार्थी प्रथम सेमेस्टर में माइनर–इलेक्टिव विषय में अनुत्तीर्ण होने के उपरांत प्रथम सेमेस्टर के माइनर प्रश्नपत्र में ही बैकलॉग परीक्षा देना चाहता है, तो वह तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के साथ ऐसा कर सकेगा।
- 13.10 विभिन्न विषयों के पाठ्यचर्या के आधार पर स्नातक के विद्यार्थियों के लिए माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्रों का सापेक्षित क्रेडिट $6 / (4+2=6)$ होगा।
- 13.11 स्नातक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार माइनर–इलेक्टिव विषय को 'ओपन–इलेक्टिव' वर्ग से भी चयनित कर सकते हैं।
- 13.12 परास्नातक के विद्यार्थी को प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में विषय आधारित इलेक्टिव प्रश्नपत्र का चयन करना होगा।
- 13.13 परास्नातक कक्षाओं में सीटों की संख्या निम्नवत् होगी।
1. प्रायोगिक विषय रसायन विज्ञान में 40 सीट
 2. अन्य प्रायोगिक विषय विज्ञान संकाय में 30 सीट
 3. प्रायोगिक विषय कला संकाय 40 सीट
 4. कला संकाय, वाणिज्य संकाय व अन्य संकाय जो प्रायोगिक नहीं हैं में 60 सीट।
- 13.14 स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों में कुलपति महोदय की अनुमति से ही निर्धारित सीटों में 33 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है। जो निम्नलिखित तालिका के अनुसार होगी–

	निर्धारित सीटें	वृद्धि के उपरान्त अधिकतम सीटें
स्नातक स्तर पर– कला एवं विज्ञान संकाय	60	80
परास्नातक स्तर पर– रसायन विज्ञान	40	53
परास्नातक स्तर पर– विज्ञान संकाय में अन्य प्रायोगिक विषय	30	40
परास्नातक स्तर पर– कला संकाय में प्रायोगिक विषय	40	53
परास्नातक स्तर पर– कला संकाय, वाणिज्य संकाय व अन्य संकाय जो प्रायोगिक नहीं हैं	60	80

- 13.15 बी0कॉम0 एवं बी0एस–सी0 कृषि की एक इकाई की निर्धारित सीटों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

- 13.16 आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक संकाय में आवंटित सीटों के 10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त सीटें प्रदान की जायेंगी। जिनमें पिछड़ा वर्ग/ एस0सी0/ एस0टी0 का नियमानुसार आरक्षण प्रभावी होगा। उदाहरणार्थ—

Sr.	Basic	Ad 33%	UR Basic	EWS	OBC 27%	SC 21%	ST 2%	Total
1	30	10	16	4	12	8	0	40
2	60	20	32	8	22	17	1	80
3	40	13	21	5	14	12	1	53

- 13.17 प्रवेश में क्षेत्रीय आरक्षण शासनादेशों के अनुरूप प्रदान किया जायेगा।
- 13.18 प्रवेश हेतु मेरिट निर्धारण के सम्बन्ध में भारांक व कटौती सम्बन्धी नियम शैक्षणिक संस्थान अपने स्तर पर निर्धारित कर सकते हैं।

Uttar Pradesh NEP-2020 UG-PG course structure aligned with FYUGP of UGC

Table 1: (To be in effect from 2024-25 Session)

[Cumulative Minimum Credits] Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation/ Internship / Field or survey work	(Minimum Credits) For the year	
			Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major		
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4 Credits		
Year Sem.		Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject			
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40	
		II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1 (3)	1 (2)			
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (6)	1 (3)	1 (2)		40	
		IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)			1 (2)			1 (3) Point 7.1
{80+40=120; 3-year UG Degree	3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)					40	
		VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)						
Fourth Year										
*Apprenticeship / Internship embedded UG degree programme	4	12 Months Apprenticeship/ Internship through NATS or from equivalent organization/ Industry/institute				1 (40) 1200 hours				40
OR										
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours)	4	VII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						40	
		VIII	Th-5(4) or Th-4(4)+ Pract-1(4)							
OR										
{120+40=160} 4-year UG Degree (Honours with Research)	4	VII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)		Students who secure 75% marks in the first 6 semesters			1 (4)	40	
		VIII	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)		
200 Master in	5	IX	Th-4(4) or Th-3(4)+					1 (4)	40	

Faculty			Pract-1(4)					
		X	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)				1 (4)	
{216} PGDR in Subject	6	XI	Th-4(2)	1 (4) Research Methodology			1 (4)	16
Ph.D. in Subject	6,7,8	XII-XVI					Ph. D. Thesis	

*Apprenticeship/Internship embedded degree programme degree holder have to do 2 year PG programme. It is purely optional for Universities, to run and give this degree.

3 year Honors/Single subject programme structure

Table 2: (To be in effect from 2024-25 Session)

[Cumulative Minimum Credits] Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree			Subject I	Subject II	Subject III	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Research Project / Dissertation / Internship/ Field or survey work	[Minimum Credits] For the year
	Year	Sem.	Major (core)	Major (core)	Minor Multidisciplinary	Minor	Minor	Major	
			4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	6 Credits	3 Credits	2 Credits	3/4/5 Credits	
		Own Faculty	Own Faculty	Other Faculty	Vocational Skill Enhancement Courses (SEC) with Summer Internship	Co-Curricular Ability / Enhancement Courses (AEC)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
{40} Certificate in Faculty	1	I	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		II	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (3)	1 (2)		
{40+40=80} Diploma in Faculty	2	III	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)		1 (6)	1 (3)	1 (2)		40
		IV	Th-3(4) or Th-2(4)+ Pract-1(4)			1 (2)	1 (3) Point 7.1		
{80+40=120} 3-year Single Subject Plain UG Degree	3	V	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	40
		VI	Th-4(4) or Th-3(4)+ Pract-1(4)					1 (4)	
or									
{80+50=130} 3-year Single Subject Honours UG Degree		V	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	50
		VI	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)					1 (5)	

- Single subject 3 years UG programme examples: BBA, BCA, BHM, BSc (Chemistry), BSc, Chemistry (Honours), Etc.
- After both the above programmes (3 years plain or Honours degree), one has to pursue 4th/ 5th years of UG/ PG programmes as given in the Table 1, in the same manner as the one who completes, 3 years UG degree of Table 1.

14. स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular)

- 14.01 (अ) स्नातक के विद्यार्थी के लिए प्रति सेमेस्टर के क्रम में निर्धारित 02 क्रेडिट के सहगामी-पाठ्यक्रम (Co-Curricular) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।
(ब) अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-Curricular) का सेमेस्टर के अनुक्रम में विवरण निम्नवत् है—(6.3 एवं 6.4 के अनुसार)

क्र० सं०	वर्ष	सेमेस्टर	सहगामी पाठ्यक्रम
01	प्रथम वर्ष	प्रथम सेमेस्टर	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
		द्वितीय सेमेस्टर	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
02	द्वितीय वर्ष	तृतीय सेमेस्टर	शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
		चतुर्थ सेमेस्टर	अवधी भाषा का अध्ययन/ सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Study of Avadhi Language/ Social Responsibility and Community Engagement)
03	तृतीय वर्ष	पंचम सेमेस्टर	सहगामी-पाठ्यक्रम नहीं चलेंगे।
		षष्ठम सेमेस्टर	सहगामी-पाठ्यक्रम नहीं चलेंगे।

14.02 स्नातक के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था सम्बन्धित संस्थान द्वारा की जायेगी।

14.03 चूँकि अनिवार्य कौशल विकास पाठ्यक्रमों एवं सहगामी-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन से सम्बन्धित शैक्षिक संसाधनों/ विषयों-विशेषज्ञ की व्यवस्था के लिए महाविद्यालय को शासन स्तर से किसी प्रकार अनुदान प्रदान नहीं किया जा रहा है। अतः महाविद्यालय के वित्तीय आंकलन के उपरान्त इन पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में No-Profit-No-Loss के आधार पर शुल्क निर्धारण अपने स्तर से करेंगे।

15 स्नातक/ परास्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संकाय/विषय चयन की पात्रता।

15.01 स्नातक स्तर पर कला संकाय/ विज्ञान संकाय/ वाणिज्य संकाय/ बी०एस-सी० कृषि एवं अन्य संकायों के अन्तर्गत संचालित विषयों तथा परास्नातक स्तर पर विषय आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की पात्रता निम्नवत् रूप से निर्धारित की गई है।

प्रवेश का संकाय/ पाठ्यक्रम	प्रवेश हेतु विद्यार्थी की पात्रता
	विषय वर्ग
विज्ञान संकाय (स्नातक)	इण्टरमीडिएट— विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण
कला संकाय (स्नातक)	इण्टरमीडिएट – उत्तीर्ण
वाणिज्य संकाय (स्नातक)	इण्टरमीडिएट – उत्तीर्ण
बी0बी0ए0	इण्टरमीडिएट – उत्तीर्ण
बी0सी0ए0	इण्टरमीडिएट – विज्ञान वर्ग से उत्तीर्ण
बी0एस–सी0, कृषि	इण्टरमीडिएट – कृषि वर्ग/विज्ञान वर्ग बायो ग्रुप से उत्तीर्ण
एम0ए0	स्नातक उत्तीर्ण
एम0एस–सी0	बी0एस–सी0, बी0टेक0 उत्तीर्ण
एम0काम0	स्नातक उत्तीर्ण
एम0एड0	बी0एड0 उत्तीर्ण
एम0ए0 फाइन आर्टस एवं डिजाइन	स्नातक उत्तीर्ण
एल0एल0बी0 (पंच वर्षीय)	इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण
एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय)	स्नातक उत्तीर्ण
एल0एल0एम0	एल0एल0बी0 उत्तीर्ण
एम0एस–सी0 कृषि	स्नातक (बी0एस–सी0 कृषि) उत्तीर्ण

15.02 पात्रता एवं चरित्र प्रमाणन के आधार पर विद्यार्थी को प्रवेश देने अथवा न देने का सर्वाधिकार सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य का होगा।

विशेष: इन नियमों में माननीय कुलपति जी द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है।

Annexure-1

1(A) मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉलिसी क्रियान्वयन के नियम

एंट्री पॉलिसी

एंट्री पॉलिसी संबंधी क्रियान्वयन नियम निम्नवत् होंगे।

- ❖ अपने स्वयं के विश्वविद्यालय में एंट्री (प्रवेश) या मल्टीपल एंट्री हेतु विद्यार्थी द्वारा अपना प्रार्थना पत्र विश्वविद्यालय के कुलसचिव को दिया जाएगा। कुलसचिव द्वारा प्रार्थना पत्र को संबंधित विभागाध्यक्ष/प्राचार्य को संदर्भित किया जाएगा, जिनके द्वारा नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाएगी। अपने स्वयं के विश्वविद्यालय में मल्टीपल एंट्री हेतु किसी प्रकार की समतुल्य समिति नहीं होगी।
- ❖ विद्यार्थी जिस विश्वविद्यालय को छोड़कर प्रवेश के लिए आ रहा है उस विश्वविद्यालय को पैरेन्ट विश्वविद्यालय तथा जिस विश्वविद्यालय में वह प्रवेश चाहता है उस विश्वविद्यालय को होस्ट विश्वविद्यालय के रूप में यहाँ पर संदर्भित किया जाएगा। इस प्रकार माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय को एंट्री हेतु एक होस्ट विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा।
- ❖ होस्ट विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को स्नातक स्तर पर दूसरे, तीसरे एवं चतुर्थ वर्ष में में एंट्री अनुमन्य होगी।
- ❖ सर्वप्रथम विद्यार्थी को अपने पैरेन्ट विश्वविद्यालय से एक वर्षीय सर्टिफिकेट/दो वर्षीय डिप्लोमा/तीन वर्षीय डिग्री का प्रमाण पत्र के साथ पैरेन्ट विश्वविद्यालय के कुल सचिव का

अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम का सिलेबस जो विद्यार्थी से संबंधित होगा, होस्ट विश्वविद्यालय के कुल सचिव कार्यालय में जमा करना होगा।

❖ कुल सचिव द्वारा माननीय कुलपति जी के अनुमोदन से एक समतुल्य समिति का गठन करवाया जाएगा, जो निम्न प्रकार से होगी।

1. संबंधित संकायाध्यक्ष अध्यक्ष
2. संबंधित विभागाध्यक्ष सदस्य
3. एकेडमिक अनुभाग के उप कुल सचिव/सहायक कुल सचिव सदस्य सचिव

❖ उपरोक्त समिति द्वारा होस्ट विश्वविद्यालय एवं पैरेन्ट विश्वविद्यालय के सिलेबस का गहन परीक्षण किया जाएगा तथा समिति द्वारा अपनी संस्तुति कुलसचिव को प्रेषित की जाएगी।

❖ यदि दोनों विश्वविद्यालयों के सिलेबस में लगभग 70% की समरूपता पाई जाती है तो विद्यार्थी को होस्ट विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अर्ह माना जाएगा। उपरोक्त समिति की संस्तुति में दोनों विश्वविद्यालयों के सिलेबस में समरूपता के प्रतिशत का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

❖ प्रवेश की स्थिति में कुलसचिव माननीय कुलपति जी के अनुमोदन के पश्चात प्रवेश हेतु संबंधित विद्यार्थी के प्रकरण को संबंधित विभागाध्यक्ष को संदर्भित करेंगे।

❖ तदुपरांत संबंधित विभागाध्यक्ष ईडीपी के माध्यम से उसका प्रवेश सुनिश्चित कराएंगे।

❖ प्रवेश हो जाने के पश्चात परीक्षा नियंत्रक द्वारा पैरेन्ट विश्वविद्यालय से आए हुए विद्यार्थी का उसके अपार आईडी में क्रेडिट ट्रांसफर सुनिश्चित कराया जाएगा और जिसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक द्वारा पैरेन्ट विश्वविद्यालय को भी प्रेषित की जाएगी जिससे उसके क्रेडिट को उसके अपार आईडी से इग्जॉस्ट किया जा सके।

❖ द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में होस्ट विश्वविद्यालय में एंट्री सीट की उपलब्धता के आधार पर होगी।

❖ प्रारंभ में यह व्यवस्था ऑफलाइन सुनिश्चित की जाएगी तदुपरांत ऑनलाइन व्यवस्था भी प्रचलित की जाएगी।

एग्जिट पॉलिसी

एग्जिट पॉलिसी संबंधी क्रियान्वयन नियम निम्नवत् होंगे।

❖ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विद्यार्थी प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष के पश्चात् अपने पाठ्यक्रम/कार्यक्रम से एग्जिट कर सकते हैं।

❖ संबंधित विद्यार्थी जो एग्जिट करना चाहते हैं विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र अपने पाठ्यक्रम का विस्तृत उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करेंगे।

❖ संबंधित विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष/महाविद्यालय के प्राचार्य विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रेषित करेंगे।

❖ तत्संबंधी विद्यार्थी के प्रार्थना पत्र पर परीक्षा नियंत्रक ईडीपी के माध्यम से उसके प्रमाण पत्र को तैयार करवाकर प्रदान करायेगे तथा उसके अर्जित किए गए क्रेडिट को उसके अपार आईडी से एग्जास्ट करवाना सुनिश्चित करेंगे।

1(B) चतुर्थ वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) के संचालन संबंधी नियम

चतुर्थ वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) के संचालन संबंधी नियम निम्नवत हैं।

- ❖ प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा और चौथे वर्ष में प्रवेश परास्नातक के प्रथम वर्ष में होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (शोध के साथ मानद), स्नातक (अप्रेन्टिश्प एंबेडेड) में से किसी एक का चयन कर सकता है। यह व्यवस्था वहीं संचालित की जाएगी जहां स्नातक तथा परास्नातक कार्यक्रम संचालित है। विस्तृत जानकारी हेतु टेबल 1 देखिए।
- ❖ विश्वविद्यालय, इच्छुक आवासीय परिसर के विभागों/महाविद्यालयों को चार वर्षीय स्नातक (FYUGP) की मान्यता। सम्बद्धता नये प्रोग्राम के रूप में विधि सम्मत प्रक्रिया (सक्षम निकायों का अनुमोदन) का पालन करने के पश्चात नियमानुसार प्रदान कर सकता है।
- ❖ चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ❖ चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (FYUGP) की व्यवस्था वहीं संचालित की जाएगी जहां स्नातक तथा परास्नातक उस विषय में दोनों कार्यक्रम संचालित हैं।
- ❖ विश्वविद्यालय, इच्छुक आवासीय परिसर के विभागों/महाविद्यालयों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUGP) में उच्चकृत कर सकते हैं। भौतिक संसाधन तथा शिक्षक अनुमोदन इत्यादि की शर्तें नियमानुसार पूर्ण करने तथा तदनुसार भौतिक रूप से स्थलीय सत्यापन के पश्चात विश्वविद्यालय के प्रचलित मान्यता सम्बद्धता के नियमों के आलोक में ही विचार किया जाएगा।

1(C) स्वयं (SWAYAM) पालिसी क्रियान्वयन के नियम

स्वयं (SWAYAM) नीति कार्यान्वयन के नियम इस प्रकार हैं।

- ❖ स्वयं पोर्टल से सत्रवार (वर्ष में दो बार जुलाई एवं जनवरी से प्रारम्भ होने वाले सत्र) विषयों का चयन सम्बंधित विभागों/विभागाध्यक्षों द्वारा किया जायेगा।
- ❖ चयनित विषयों विभागवार/संकायवार तथा उसके कंटेंट्स एवं क्रेडिट/सप्ताह को सम्बन्धित विषय के पाठ्यक्रम समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।
- ❖ सम्बन्धित विभाग के शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थीगण अपने कोर कोर्स/इलेक्टिव माइनर वैल्यू एडेड कोर्स का चयन करेंगे जिसका अध्ययन वे स्वयं पोर्टल के माध्यम से करेंगे।
- ❖ विद्यार्थियों का स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फ्री होगा।
- ❖ स्वयं पोर्टल के माध्यम से अध्ययन के पश्चात विद्यार्थियों के पास परीक्षा देने के दो विकल्प होंगे।
- ❖ प्रथम, यदि वो चाहता है तो स्वयं (स्वयं) द्वारा आयोजित प्रॉक्टर्ड एग्जाम दे सकता है जहां उसे सर्टिफिकेट सम्बन्धित आईआईटी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार तथा स्किल इंडिया की तरफ से प्रदान किया जायेगा। इस परीक्षा हेतु सामान्य विद्यार्थियों को रु 750 तथा ओ.बी.सी./एस.सी. विद्यार्थियों के लिए माह रु० 500 परीक्षा शुल्क देना होगा।

- ❖ द्वितीय, यदि उक्त परीक्षा नहीं देना चाहता है तो उसकी परीक्षा निः शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा करायी जायेगी जिस हेतु उसे किसी प्रकार की फीस देय नहीं होगी।
- ❖ प्रॉक्टर्ड एग्जाम में उत्तीर्ण होने पर विद्यार्थी अपना सर्टिफिकेट महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग में जमा करेगा जिसे सम्बन्धित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा जिससे उनके मार्कशीट/अपार आईडी में क्रेडिट ट्रान्सफर किया जा सके।
- ❖ विश्वविद्यालय की परीक्षा में संबंधित कोर्स में उत्तीर्ण होने पर कोर्स के सापेक्ष क्रेडिट विद्यार्थी के मार्कशीट/अपार आईडी में विश्वविद्यालय द्वारा उतना क्रेडिट ट्रान्सफर किया जायेगा।
- ❖ विद्यार्थियों द्वारा अपने कार्यक्रम के सापेक्ष अधिकतम 40: क्रेडिट ही स्वयं के माध्यम अर्जित किया जा सकता है।
- ❖ विभागवार विषयों की सूची विश्वविद्यालय के वेब साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
- ❖ विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्बन्धित कोर्स में उत्तीर्ण होने पर कोर्स के सापेक्ष क्रेडिट विद्यार्थी के मार्कशीट/अपार आईडी में विश्वविद्यालय द्वारा उतना क्रेडिट ट्रान्सफर किया जायेगा।
- ❖ विद्यार्थियों द्वारा अपने कार्यक्रम के सापेक्ष अधिकतम 40 प्रतिशत ही स्वयं (स्वयं) के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है।
- ❖ विभागवार विषयों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।



प्रो० बिनोद प्रताप सिंह
अधिष्ठाता वाणिज्य संकाय
एवं विधि संकाय



प्रो० अमन चन्द्रा
अधिष्ठाता कला संकाय



प्रो० सन्दीप कुमार श्रीवास्तव
अधिष्ठाता शिक्षा संकाय



प्रो० राजीव कुमार अग्रवाल
विशेष आमंत्रित सदस्य